

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2025 — माघ 29, शक 1946

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ-01/29/31/स्था./2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-चार में, शीर्षक “(एक) कर्तव्य पद (सिविल शाखा)” के अंतर्गत, सरल क्रमांक 3 के कॉलम (3) में, अंक तथा शब्द “06 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “05 वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाए।
2. अनुसूची-चार में, शीर्षक “(दो) कर्तव्य पद (वि./यां. शाखा)” के अंतर्गत, सरल क्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक तथा शब्द “06 वर्ष” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “05 वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र मेढेकर, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 18th February 2025

NOTIFICATION

No. F 01-29/31/Estb./2007.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Water Resource Engineering and Geological (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2014, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule-IV, under heading "(I) Duty Post (Civil Branch)", In column (3) of serial number 3, for the figure and word "06 years", the figure and word "05 years" shall be substituted.
2. In Schedule-IV, under Heading "(II) Duty Post E/M Branch)", in column (3) of serial number 1, for the figure and word "06 years", the figure and word "05 years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVINDRA MEDHEKAR, Deputy Secretary.